Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में पटवारी को 75 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 जून*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की स्पेशल यूनिट, उदयपुर द्वारा आज सोमवार को उदयपुर में कार्यवाही करते हुये सौरभ गर्ग पटवारी पटवार हल्का सिसारमा को परिवादी से 75 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. स्पेशल यूनिट, उदयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि भूखण्ड पर निर्माणधीन मकान के काम को रूकवाते हुये डरा धमकाकर पुनः काम शुरू करवाने की एवज में सौरभ गर्ग पटवारी पटवार हल्का सिसारमा द्वारा 3 लाख रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट, उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री हरीशचन्द्र** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सौरभ गर्ग पुत्र श्री शिव कुमार गर्ग निवासी 3/229, ओ.टी.सी. स्कीम, गिर्वा अम्बामाता, उदयपुर स्थाई पता एम–214, हासियाना अपार्टमेन्ट, कालवाड़ रोड जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का सिसारमा, उदयपुर को परिवादी से 75 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी परिवादी पूर्व में 2 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर चुका था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।